



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43154 वर्ष 2025

सोनू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अंकित अग्रवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित अग्रवाल और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. श्री अजय सिंह की दलीलें सुनीं और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मुकदमा अपराध संख्या 1126/2025, मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21/22 के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर, जिला बुलंदशहर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि लगभग 110 ग्राम अल्प्रोजोलम आवेदक के कब्जे से बरामद होने का आरोप है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसे झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। कोई रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। वे निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामले में, आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक को किसी भी प्रकार की हिरासत में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। आवेदक 15.11.2025 से जेल में है। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एक अन्य मामला भी शामिल है, जिसका विवरण हलफनामे में दिया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया

है कि प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक **सोनू** को, उपरोक्त अपराध मामले में संलिप्त, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

5 जनवरी, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।